सार्वजनिक वितरण प्रणाली

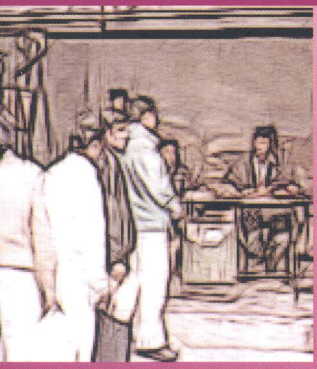

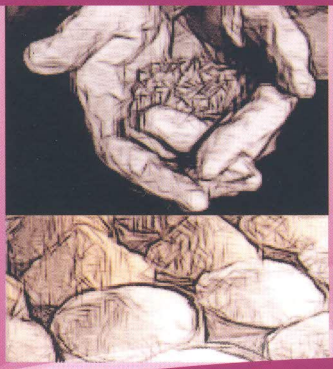

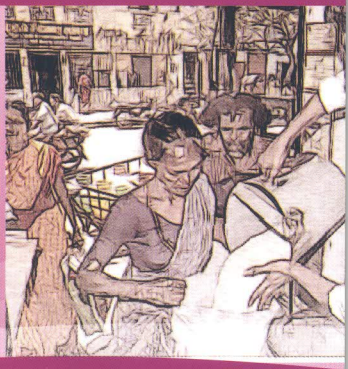

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

राष्ट्रीय जन सहयोग
एवं बाल विकास संस्थान

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

- ❖ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मतलब है नियमित अंतराल पर उचित मूल्य दुकान के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण है।

- ❖ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल आदि दिया जाता है।

- ❖ सार्वजनिक वितरण प्रणाली सस्ते दामों की खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की आर्थिक नीति में प्रमुख साधन है।

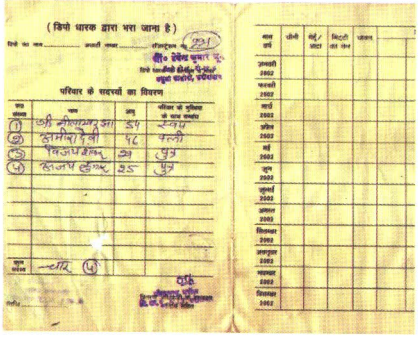

राशन कार्ड

(डिपो धारक द्वारा भरा जाना है)

परिवार के सदस्यों का विवरण

राशन कार्ड उचित मूल्य दुकान से आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है ।

राशन कार्ड कैसे प्राप्त करें

- ❖ एक भारतीय नागरिक को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए प्राप्तकर्त्ता से संबंधित कार्यालय से आवेदन पत्र लेना होता है।

- ❖ इसके लिए किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिवार के मुखिया का एक फोटो होना चाहिए, घर का प्रमाण पत्र और यदि राशन कार्ड पहले से है तो पिछले राशन कार्ड का आत्मसर्मपण/विलीपण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

- ❖ यदि किसी व्यक्ति के पास उसके घर का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस क्षेत्र का खाद्य वितरण अधिकारी पड़ोस के दो स्वतंत्र गवाहों के लिखित बयानों के आधार पर पूछताछ करता है।

- ❖ राशन कार्ड बनाने की अवधि 15 दिन है परंतु यह प्रक्रिया और समय सीमा बढ़ भी सकती है।

उचित मूल्य दुकान

- ❖ देश में इस समय 28,995 उचित मूल्य की दुकानें हैं जो 1.90 करोड़ परिवारों को खाद्य पदार्थ प्रदान कर रही हैं।

- ❖ उचित मूल्य की दुकानों को खोलने के लिए नियमों को सरल करने से लोगों को इन तक पहुंचने में आसानी हुई हैं।

- ❖ चावल कार्ड वाले परिवारों में से 18.38 लाख सबसे गरीब परिवारों को चुना गया है और उनके कार्ड पर भारत सरकार द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत (एएवाई) शब्दों की मोहर लगी है जिससे उन्हें अनाज सस्ता मिलता है।

- ❖ अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को 35 किलो चावल प्रत्येक माह 2 रु0 प्रति किलो के हिसाब से उचित मूल्य दुकान से दिया जाता है।

सूचना अधिकार अधिनियम

सूचना अधिकार अधिनियम देश में 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुआ था। लोग ही सरकार चलाने के लिए टैक्स देते हैं इसीलिए उन्हें अपने या जनहित से जुड़ी हुई किसी भी सूचना के बारे में जानने का अधिकार है।

सबको अधिकार है कि:

- ❖ सरकार से सवाल पूछें या सूचना लें।
- ❖ सरकारी दस्तावेज की प्रति लें।
- ❖ उसकी जांच कराएं।
- ❖ कामकाज की जांच कराएं।
- ❖ सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का नमूना लें।

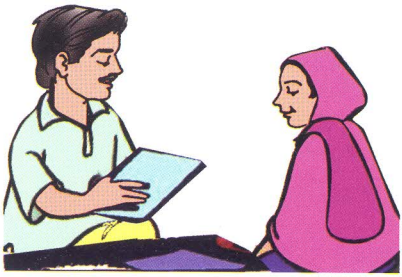

सूचना मिलेगी कैसे?

सभी सरकारी विभागों में जन सूचना अधिकारी हैं, आवेदन वहीं दें, यही अधिकारी सूचना इकट्ठा करके आपको देंगे। सूचना प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन पत्र के साथ शुल्क देना होगा।

कहां मिलेगा अधिकारी?

सूचना प्राप्त करना चाहते है तो उससे सम्बंधित विभाग जा सकते है और सूचना अधिकारी को एक प्रमाण पत्र दे सकते है। अगर यह जन सूचना अधिकारी न मिले तो आवेदन मुख्य विभाग प्रमुख को सीधा भेज सकते हैं।

कितना होगा शुल्क?

- आवेदन शुल्क– 10 रूपए
- सूचना देने का खर्च– 2 रूपए प्रति पेज
- दस्तावेजों की जांच– पहले 4 घंटे कोई शुल्क नहीं, बाद के हर एक घंटे के 5 रूपए
- कुछ राज्यों में अलग नियम हैं।

जन अधिकारी के नाम देय कुछ राज्यों के स्टेट बैंक में खास खाते हैं उनमें अपना शुल्क जमा करा सकते हैं।

कैसे और कहां शुल्क दें ?

- नकद
- डिमांड ड्राफ्ट
- पोस्टल ऑर्डर
- मनी ऑर्डर
- चैक

प्रतिक्रिया की समय सीमा

- **48 घंटे**: अगर जानकारी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो।
- **30 दिन**: अगर लोक सूचना अधिकारी को फीस के बारे में जानकारी देनी हो।

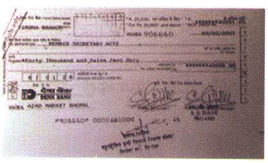

- **35 दिनः** अगर आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी को किया गया हो।
- **40 दिनः** यदि जानकारी अन्य पार्टी से लेनी है। लोक सूचना अधिकारी तीसरी पार्टी को जानकारी देने के लिए नोटिस देगा।
- **45 दिनः** इन्टेलीजेंस एजेंसी या सिक्योरटी एजेंसी से किसी मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित जानकारी।

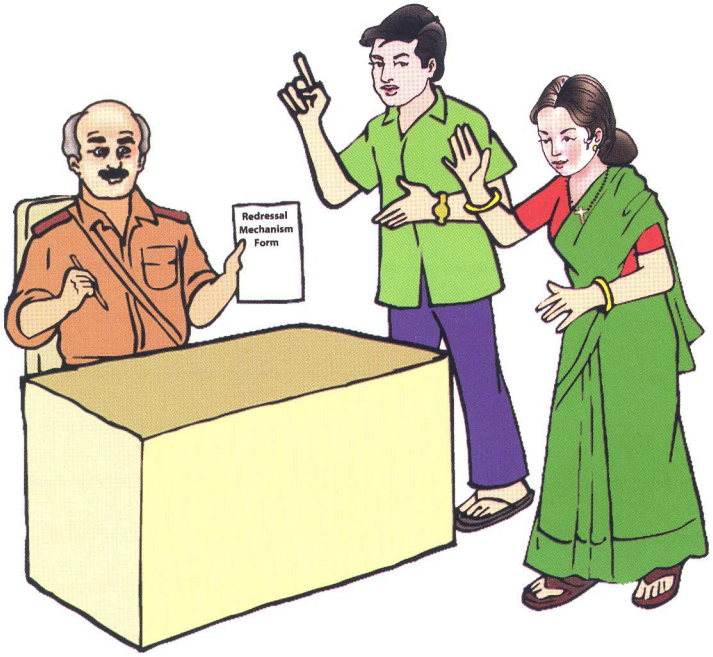

ले-आउट तथा मुद्रण : फाउंटेनहेड साल्यूशंस (प्रा.) लिमिटेड

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय
11 वीं मंजिल, पर्यावरण भवन
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली 110016

राष्ट्रीय जन सहयोग
एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)
5, सीरी इंस्टीटयूशनल एरिया, हौज खास
नई दिल्ली–110016